

1

**कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लॉक 4 डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
☎ - 2263708 Fax - 2262558**

website - tribal.cg.gov.in

E mail - ctd.cg@nic.in

क्रमांक / 113 / प्रयास / 2021-22 /

7998

अटल नगर, रायपुर दिनांक 02/02/2022

—:संक्षिप्त निविदा सूचना:—

प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय, रायपुर के कक्षा 9वीं एवं 10वीं में अध्यापन एवं कोचिंग कार्य हेतु फेकल्टी की व्यवस्था के लिए पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाईन “रूचि की अभिव्यक्ति” का आमंत्रण (वर्ष 2021-22)

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा स्व. राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना (संशोधित) नियमावली वर्ष 2020 अंतर्गत प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय, रायपुर जिला-रायपुर में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण चयनित विद्यार्थियों के लिए कक्षा 09वीं एवं 10वीं के शालेय शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ अखिल भारतीय स्तर की परीक्षाओं यथा एन.टी.एस.ई., विज्ञान पहली इत्यादि की तैयारी कराये जाने की योजना है, जिसके फलस्वरूप उक्त विद्यार्थी आगे चलकर कक्षा 12वीं के पश्चात् अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली परीक्षाओं यथा जेईई (मेंस/एडवांस), एम्स, नीट, पीईटी इत्यादि जैसी होने वाली प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के योग्य हो सके।

इस योजनांतर्गत प्रयास आवासीय विद्यालय, जिला- रायपुर के लिए “रूचि की अभिव्यक्ति” ऑनलाईन प्रस्ताव आमंत्रित है।

- | | |
|---|--------------------------------|
| (i) रूचि की अभिव्यक्ति के संबंध में PreBid Meeting | — 07/02/2022, अपराह्न 2.00 बजे |
| (ii) निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित करने की अंतिम तिथि | — 15/02/2022, सायं 5.00 बजे |
| (iii) प्राप्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष खोला जाना | — 16/02/2022 दोपहर 12.00 बजे |
| (iv) पात्र पाई गई सस्थाओं का समिति के समक्ष तकनीकी मूल्यांकन | — पृथक से घोषित किया जायेगा। |

अन्य कार्यवाही एवं तिथियों में परिवर्तन की सूचना संबंधित प्राधिकारी/चयन समिति द्वारा पृथक से विभागीय वेबसाइट पर दी जायेगी। विस्तृत जानकारी तथा नियमावली हेतु विभागीय वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in का अवलोकन तथा ई प्राक्योरमेंट वेब पोर्टल <https://eproc.cgstate.gov.in> के निविदा क्रमांक 91977 से वांछित जानकारी/प्रपत्र डाऊनलोड कर सकते हैं। जो ऑनलाईन प्रस्ताव देंगे उन्हें ऑफलाईन प्रस्ताव हार्ड कॉपी में तीन लिफाफा पद्धति में अंतिम तिथि तक स्पीड पोस्ट से भी भेजा जाना है।


(श्रीमती शम्मी आबिदी)

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लॉक 4 डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
☎ - 2263708 Fax - 2262558

website - tribal.cg.gov.in

E mail - ctd.cg@nic.in

क्रमांक / 113 / प्रयास / 2021-22 / 7997

अटल नगर, रायपुर दिनांक 02/02/2022

-:विस्तृत निविदा सूचना:-

प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय, रायपुर के कक्षा 9वीं एवं 10वीं में अध्यापन एवं कोचिंग कार्य हेतु फेकल्टी की व्यवस्था के लिए पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाईन "रूचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण (वर्ष 2021-22)

1. योजना का उद्देश्य :- आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा स्व. राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना (संशोधित) नियमावली वर्ष 2020 अंतर्गत प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय जिला- रायपुर में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण चयनित विद्यार्थियों के लिए कक्षा 09वीं एवं 10वीं के शालेय शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ अखिल भारतीय स्तर की इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की परीक्षाओं यथा एन.टी.एस.सी., विज्ञान पहली जेईई (मेंस/एडवांस), एम्स, नीट, पीईटी इत्यादि जैसी होने वाली प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराये जाने की योजना है। जिसके फलस्वरूप इन संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी आगे चलकर अखिल भारतीय संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त कर सकें। विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं एवं 10वीं स्तर पर होने वाली परीक्षा जैसे गणित, विज्ञान, ओलिंपियाड, विज्ञान पहली, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज इत्यादि परीक्षाओं में भी शामिल कराना है।

2. योजना संचालन का मोड :- योजना के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित शैक्षणिक एवं आवासीय अधोसंरचना एवं सुविधा विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। कोचिंग हेतु शैक्षणिक स्टाफ एवं स्टडी मटेरियल (साफ्ट/हार्ड कापी), संदर्भ पुस्तकें, मूल्यांकन आदि हेतु OMR टेस्ट तथा OMR मशीन की व्यवस्था चयनित कोचिंग संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

इस योजनांतर्गत निम्नांकित विद्यालयों के लिए "रूचि की अभिव्यक्ति" ऑनलाईन प्रस्ताव आमंत्रित है:-

क	प्रयास विद्यालय का नाम	वर्ष	कक्षा	विद्यार्थियों की संख्या (परिवर्तनीय)	ऑनलाईन के अतिरिक्त ऑफलाईन (हार्ड कॉपी में) प्रस्ताव जहां जमा करना है उस कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	प्रयास बालक आवासीय विद्यालय, सड्डू जिला-रायपुर	2021-22 2022-23	9वीं 10वीं	200 200	कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, ब्लॉक-डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नया रायपुर
2.	प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय, गुढ़ियारी जिला-रायपुर	2021-22 2022-23	9वीं 10वीं	155 155	

ऑफलाईन प्रस्ताव स्पीड पोस्ट से निर्धारित तिथि तक प्राप्त किये जायेंगे।

- (i) रूचि की अभिव्यक्ति के संबंध में PreBid Meeting – 07/02/2022, अपरान्ह 2.00 बजे
(ii) निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित करने की अंतिम तिथि – 15/02/2022, सायं 5.00 बजे
(iii) प्राप्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष खोला जाना – 16/02/2022 दोपहर 12.00 बजे
(iv) पात्र पाई गई सस्थाओं का समिति के समक्ष तकनीकी मूल्यांकन – पृथक से घोषित किया जायेगा।

3. अनुबंध की अवधि:— 02 वर्ष (2021–22 एवं 2022–23) अधिकतम 30 जून 2023 तक

4. कक्षा की क्षमता :— अधिकतम 40 से 50 विद्यार्थियों का एक सेक्शन होगा।

5. अध्यापन की अवधि :— बोर्ड परीक्षा के अनुसार पाठ्यक्रम का अध्यापन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग, शिक्षक डायरी, पाठ्यक्रम योजना, गृह कार्य जांच, विद्यार्थीवार विश्लेषण तथा डाउट क्लास आदि को मिलाकर प्रतिदिन प्रति शिक्षक न्यूनतम 8 घण्टे का अध्यापन/कोचिंग एवं शिक्षकीय कार्य कराना होगा। इसके आधार पर समय सारिणी बनाकर प्रशासकीय अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

6. उपलब्ध कराये जाने वाले शिक्षकों की अनिवार्य योग्यताएं :—

योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करना है, इस हेतु कक्षा 9वीं, 10वीं का अध्यापन एवं उस स्तर पर होने वाली प्रतियोगी परीक्षा जैसे गणित, विज्ञान, ओलिंपियाड, विज्ञान पहली, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज इत्यादि परीक्षाओं हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले शिक्षकों (Teaching/ Coaching Faculty) की शैक्षणिक पृष्ठ भूमि उच्च स्तर की होनी चाहिए। कोचिंग संस्थाओं के Faculty Development Programme के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं के अध्यापन हेतु शिक्षक प्रशिक्षित होने चाहिए।

क.	विषय	शिक्षकों की न्यूनतम संख्या	अनिवार्य योग्यता
1.	गणित	01	किसी भी शासकीय IIT/NIT संस्था से प्रथम श्रेणी के साथ बी.टेक तथा संबंधित विषय में कोचिंग का 02 वर्ष का अनुभव
2.	भौतिक शास्त्र	01	किसी भी शासकीय IIT/NIT संस्था से प्रथम श्रेणी के साथ बी.टेक संबंधित विषय में कोचिंग का 02 वर्ष का अनुभव अथवा शासकीय संस्था से न्यूनतम 75 प्रतिषत अंको के साथ संबंधित विषय में M.Sc, B.Ed तथा संबंधित विषय में कोचिंग कार्य का 02 वर्ष का अनुभव
3.	रसायन शास्त्र	01	किसी भी शासकीय IIT/NIT संस्था से प्रथम श्रेणी के साथ बी.टेक संबंधित विषय में कोचिंग का 02 वर्ष का अनुभव अथवा शासकीय संस्था से न्यूनतम 75 प्रतिषत अंको के साथ संबंधित विषय में M.Sc, B.Ed तथा संबंधित विषय में कोचिंग कार्य का 02 वर्ष का अनुभव
4.	जीव विज्ञान (बायोलॉजी)	01	किसी भी शासकीय संस्था से न्यूनतम 75 प्रतिषत अंको के साथ संबंधित विषय में M.Sc, B.Ed एवं संबंधित विषय में कोचिंग कार्य का 02 वर्ष का अनुभव
5.	हिन्दी	01	किसी भी शासकीय संस्था से हिन्दी विषय में स्नातक के साथ हिन्दी में प्रथम श्रेणी से MA, B.Ed एवं संबंधित विषय में कोचिंग/अध्यापन कार्य का 02 वर्ष का अनुभव
6.	अंग्रेजी	01	किसी भी शासकीय संस्था से अंग्रेजी विषय में स्नातक के साथ अंग्रेजी में प्रथम श्रेणी से MA, B.Ed एवं संबंधित विषय में कोचिंग/अध्यापन कार्य का 02 वर्ष का अनुभव
7.	संस्कृत	01	किसी भी शासकीय संस्था से संस्कृत विषय में स्नातक के साथ संस्कृत में प्रथम श्रेणी से MA, B.Ed एवं संबंधित विषय में कोचिंग/अध्यापन कार्य का 02 वर्ष का अनुभव
8.	सामाजिक विज्ञान	02	किसी भी शासकीय संस्था से प्रथम श्रेणी से सामाजिक विज्ञान विषय में MA, B.Ed (जिसमें एक इतिहास/राजनीति शास्त्र में तथा दूसरा भूगोल/अर्थशास्त्र विषय का हो) एवं संबंधित विषय में कोचिंग/अध्यापन कार्य का 02 वर्ष का अनुभव
9.	मनोवैज्ञानिक/कैरियर काउंसलर	01	भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित क्षेत्र में प्रथम श्रेणी से स्नातक उपाधि। किसी संस्था/फर्म में कम से कम 02 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए (आवश्यकतानुसार बालक एवं कन्या के लिए महिला एवं पुरुष काउंसलर उपलब्ध कराना होगा)।

7. रूचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत आवेदन करने का तरीका :-

- (i) इच्छुक कोचिंग संस्थाएँ आवेदन का प्रारूप, न्यूनतम पात्रता शर्तें, सुरक्षा निधि की राशि तथा अन्य जानकारी विभाग की वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in तथा ई प्राक्थोरमेंट वेब पोर्टल <https://eproc.cgstate.gov.in> से अवलोकन कर प्राप्त (Download) कर सकते हैं। आवेदन पत्र के शुल्क हेतु राशि रूपयें 5000/- (शब्दों में पांच हजार मात्र) ऑनलाईन जमा करना होगा।
- (ii) इच्छुक कोचिंग संस्थाएं 03 बंद लिफाफा पद्धति में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। इच्छुक फर्म 01 से अधिक संस्थाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं, उन्हें प्रत्येक संस्था के लिए अलग-अलग अमानत राशि (सुरक्षा निधि) जमा नहीं करना है। न्यूनतम अनिवार्य योग्यता का लिफाफा तथा वित्तीय दर का लिफाफा सभी आवेदनों के लिए एक ही होगा, जिसमें संस्थावार एवं प्राथमिकता क्रम का उल्लेख किया जायेगा तथा सभी लिफाफों में (प्रथम, द्वितीय, तृतीय) के उपर विज्ञापन क्रमांक, दिनांक तथा किस-किस विद्यालयों के लिए आवेदन किया जा रहा है, उल्लेख करना होगा।
- (iii) आवेदन पत्र का भाग-एक, प्रथम लिफाफा (अनिवार्य अर्हता संबंधी योग्यता) निम्नानुसार रहेगी :-

क्र.	विवरण
1.	आवेदन करने वाली कोचिंग संस्था का भारत सरकार या छत्तीसगढ़ शासन के अधीन विधि मान्य अधिनियम अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। संस्था का पंजीयन निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। पंजीयन गलत प्राप्त होने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। टीप:- मूल संस्थाएं आवेदन कर सकेंगी, Franchise मान्य नहीं होगा।
2.	संस्था का पेन (PAN) एवं टेन (TAN)/जीएसटी (GST) नम्बर अनिवार्यतः होना चाहिए। प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए। यदि टेक्स में छूट प्रदान किया गया है तो संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। टीप:- पेन/टेन/जीएसटी नंबर संस्था के नाम से होना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं।
3.	(I) कोचिंग संस्था/फर्म का प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कोचिंग कार्यों का प्रति वर्ष का टर्न ओवर 50.00 लाख से कम नहीं होना चाहिए। टर्न ओवर में संस्था/फर्म द्वारा संचालित अन्य गतिविधियों/व्यापारिक प्रक्रियाओं से प्राप्त आय/संपत्ति को इसमें शामिल न किया जाए। संस्था को प्रमाण स्वरूप विगत 3 वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन (आडिट रिपोर्ट), बैलेन्स शीट प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का एक प्रमाण पत्र जिसमें विगत तीनों वर्षों के प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कार्यों से संबंधित टर्न ओवर का पृथक-पृथक उल्लेख हो। (II) कोचिंग संस्था/फर्म का प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कोचिंग कार्यों के व्यवसाय का पिछले तीन वर्ष में जमा किये गये सर्विस टेक्स एवं आयकर रिटर्न का विवरण। यदि टेक्स में छूट प्रदान किया गया है तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
4.	सुरक्षा निधि के रूप में राशि रु. 5.00 लाख (शब्दों में राशि रु. पांच लाख मात्र) ऑनलाईन जमा करना होगा।
5.	भारत देश के अंतर्गत किसी भी राज्य में शासन/लोक उपक्रम/विभाग/एजेंसी अंतर्गत कोचिंग फर्म को काली सूची में न डाला हो और न ही कोई कारण बताओं नोटिस जारी किया गया हो। इस संबंध में संलग्नक के प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

टीप-भाग एक-(प्रथम लिफाफा) में EC-1 से EC-8 तक की जानकारी रखा जाना है।

- (iv) आवेदन पत्र का भाग-दो (दूसरा लिफाफा) इसके अंतर्गत TE-1 से TE-9 तक की जानकारी के साथ पृथक से लिफाफा क्रमांक-02 में रखकर सीलबंद किया जाना चाहिए।
- (v) आवेदन पत्र का भाग-तीन (वित्तीय प्रस्ताव) इसके अंतर्गत तीसरे लिफाफे में वित्तीय प्रस्ताव (दर) का लिफाफा FB-1 रखा जाना है, प्रारूप संलग्न है। उपरोक्तानुसार तीनों लिफाफों को ऑनलाईन में प्रदत्त निर्देश अनुसार भरा जाना है।
- (vi) इसके पश्चात् भाग-1, भाग-2 एवं भाग-3 के लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा। निर्धारित तिथि तथा समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकार्य होंगे। आवेदक जिन विद्यालयों के लिए आवेदन कर रहा है, लिफाफा के उपरी भाग पर उन सभी विद्यालयों का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगे। प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव के अभिलेखों के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म का सील और हस्ताक्षर होना चाहिए।
- (vii) सभी प्राप्त आवेदन पत्र का लिफाफा क्रमांक-01 अनिवार्य योग्यता संबंधी लिफाफा खोला जाएगा। इसके परीक्षण उपरांत पात्रता रखने वाले संस्थाओं का ही द्वितीय लिफाफा खोला जाएगा। द्वितीय लिफाफा (तकनीकी योग्यता संबंधी) में पात्र पाए जाने वाले संस्थाओं का ही तृतीय लिफाफा (वित्तीय प्रस्ताव) खोला जाएगा। वित्तीय लिफाफा खोलने हेतु पृथक से सूचना दी जावेगी। चयन समिति द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन पश्चात् अंतिम रूप से सफल फर्म को पृथक से सूचित किया जाएगा।
- (viii) आवेदन खोलते समय आवेदक स्वयं अथवा उनके एक Power of Attorney द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेंगे।

(स) सुरक्षा निधि-

(i) आवेदक संस्था को एक या एक से अधिक विद्यालय के लिए आवेदन करने पर राशि **रु. 5.00 लाख** का सुरक्षा निधि की राशि ऑनलाईन जमा करना होगा। अंतिम चयन में यदि संस्था को एक से अधिक विद्यालय आंबटित होता है तो उसे एक सप्ताह के अंदर आंबटित विद्यालयों के लिए राशि रु. 5.00 लाख के मान से सुरक्षा निधि की राशि का एफडीआर कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नवा रायपुर में जमा करना होगा।

आवेदक संस्था का चयन नहीं होने पर निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् उनके द्वारा प्रस्तुत सुरक्षा निधि (ऑनलाईन) की राशि वापसी योग्य होगी। चयनित/अनुबंधित संस्थाओं को अनुबंध अनुसार कुल भुगतान योग्य राशि का 10% राशि का बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर सुरक्षा निधि (ऑनलाईन) जमा की गई राशि वापसी योग्य होगी।

(ii) निम्नांकित परिस्थितियों में सुरक्षा निधि की राशि बैंक गारंटी से राजसात कर ली जायेगी-

(अ) यदि अनुबंधित संस्था अनुबंध अनुसार कार्य करने से मना करता है।

(ब) यदि अनुबंध अवधि के मध्य अनुबंधित संस्था द्वारा कार्य बीच में छोड़ दिया जाता है।

(स) आवेदक संस्था द्वारा जानबूझकर गलत जानकारी देकर कार्यादेश प्राप्त कर लेता है।

8. प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन का तरीका :- योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च गुणवत्ता की संस्था को चयन में प्राथमिकता देने हेतु प्राप्त प्रस्तावों का गुणवत्ता सहमूल्य आधारित प्रक्रिया (Quality Cum Cost Based System) के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा। इसके दो भाग होंगे :-

8.1 तकनीकी मूल्यांकन :- न्यूनतम योग्यता पूर्ण करने वाले फर्म/संस्था का ही तकनीकी प्रस्ताव (लिफाफा) खोला जायेगा, यह अधिकतम 100 अंक का होगा। इसके दो भाग होंगे-

(अ) संस्था/फर्म के अनुभव एवं कार्य की उपलब्धियों पर 70 अंक निर्धारित है जिसका मूल्यांकन निम्नलिखित मानको के आधार पर आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के आधार पर किया जायेगा -

क्र.	विवरण	विद्यार्थियों की संख्या	अंक	अधिकतम अंक	प्राप्तांक
1	विगत 05 वर्ष के औसत आधार पर कोचिंग संस्था द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर JEE एवं NEET प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान करने का अनुभव।	5000 से 10000 10000 से 20000 20000 से अधिक	03 06 10	10	
2	विगत 05 वर्ष के औसत आधार पर कोचिंग संस्था द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर JEE एवं NEET प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान करने का अनुभव।	500 से 1000 1000 से 2000 2000 से अधिक	02 03 05	05	
3	विगत 05 वर्षों के औसत आधार पर कोचिंग संस्था द्वारा अध्ययनरत विद्यार्थियों का राष्ट्रीय स्तर पर JEE (Mains) प्रतियोगी परीक्षा में ओव्हर आल 10000 रैंक तक प्राप्त के आधार पर।	100 से 250 250 से 500 500 से अधिक	03 06 10	10	
4	विगत 05 वर्षों के औसत आधार पर कोचिंग संस्था द्वारा अध्ययनरत विद्यार्थियों का छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर JEE (Mains) प्रतियोगी परीक्षा में ओव्हर आल 10000 रैंक तक प्राप्त के आधार पर।	10 से 25 25 से 50 50 से अधिक	02 03 05	05	
5	विगत 05 वर्षों के औसत आधार पर कोचिंग संस्था द्वारा अध्ययनरत विद्यार्थियों का राष्ट्रीय स्तर पर NEET प्रतियोगी परीक्षा में ओव्हर आल 20000 रैंक तक प्राप्त के आधार पर।	100 से 250 250 से 500 500 से अधिक	03 06 10	10	
6	विगत 05 वर्षों के औसत आधार पर कोचिंग संस्था द्वारा अध्ययनरत विद्यार्थियों का छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर NEET प्रतियोगी परीक्षा में ओव्हर आल 20000 रैंक तक प्राप्त के आधार पर।	10 से 25 25 से 50 50 से अधिक	02 03 05	05	
7	कोचिंग संस्था के विगत 03 वर्षों के औसत टर्नओवर के आधार पर।	50.00 लाख तक 50.00-से 100.00 लाख तक 100.00 लाख से उपर प्रति 50.00 लाख पर-01 अंक	03 05 -	10	
8	Study Material की गुणवत्ता	-		05	
10	योजना क्रियान्वयन की विस्तृत रणनीति तथा Approach and Methodology पर पावर पॉइन्ट प्रेजेंटेशन (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	-		10	
	योग -			70	

(ब) दूसरा— शिक्षकों के दक्षता का मूल्यांकन (शिक्षक डेमो):— इस हेतु अधिकतम 30 अंक निर्धारित हैं। शिक्षकों का मूल्यांकन निम्नांकित मानकों के आधार पर किया जायेगा:—

क्रमांक	विवरण	निर्धारित अंक
1	शिक्षकों के विषय ज्ञान एवं विषय की समझ	10
2	शिक्षण कौशल	10
3	विद्यार्थियों/विषय विशेषज्ञों द्वारा पुछे गये प्रश्नों/समस्या समाधान के तरीके	10

टीप:- डेमों में रुचि की अभिव्यक्ति में दर्शाये गये योग्यता अनुरूप शिक्षक अनिवार्यतः लाना होगा अन्यथा डेमों में शामिल नहीं किया जायेगा। प्रत्येक विद्यालय के लिए पृथक-पृथक शिक्षक डेमों हेतु उपलब्ध कराया जाना होगा।

कुल तकनीकी मूल्यांकन (ET) = (अ) पहला + (ब) दूसरा = 100 अंक

8.2 तकनीकी मूल्यांकन द्वारा प्रस्तावों का लघुकृतिकरण — तकनीकी मूल्यांकन के 100 अंक में से न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले संस्थाओं का ही वित्तीय लिफाफा ऑनलाईन खोला जायेगा। उपरोक्तानुसार अर्ह संस्थाओं की संख्या 04 से कम होने पर न्यूनतम 70 प्रतिशत की अनिवार्यता नहीं होगी।

8.3 वित्तीय प्रस्ताव का मूल्यांकन :- वित्तीय प्रस्ताव का मूल्यांकन निम्नांकित सूत्र पर आधारित होगा :-

$$EF = 100 \times FM/F$$

यहां पर EF का अर्थ होगा वित्तीय अंक, FM का अर्थ न्यूनतम मूल्य तथा F का अर्थ विचाराधीन प्रस्ताव में दर्शाये गये मूल्य से है।

8.4 प्रस्ताव का अंतिम श्रेणीकरण :- प्रस्ताव का अंतिम श्रेणीकरण तकनीकी अंक (ET) का 70 प्रतिशत अधिभार तथा वित्तीय अंक (EF) का 30 प्रतिशत अधिभार देते हुए दोनों का योग कर अंको के घटते क्रम अनुसार कोचिंग संस्थाओं का अंतिम श्रेणीकरण किया जायेगा।

9. कोचिंग संस्थाओं को कार्य आबंटित किया जाना -

प्रत्येक प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए कोचिंग संस्थाओं का मूल्यांकन पश्चात् अंतिम श्रेणीकरण किया जाकर कोचिंग संस्थाओं का पैनेल बनाया जायेगा। सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले संस्था को प्रथम स्थान देते हुये कार्य करने हेतु सहमति पत्र (Letter of acceptance) कोचिंग संस्था को जारी किया जायेगा। सहमति पत्र प्राप्त होने पर कोचिंग संस्था द्वारा शिक्षक डेमों में लाये गये शिक्षक जो रुचि की अभिव्यक्ति में दर्शाये गये शैक्षणिक योग्यता अनुरूप फैंकल्टी की सम्पूर्ण सूची योग्यता/बायोडाटा (02 फोटो सहित), शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, निवास-प्रमाण पत्र, सुरक्षा निधि की राशि, शिक्षको के साथ किया गया अनुबंध जिसमें वेतन का विवरण हो आदि के साथ अनुबंध निष्पादित करने हेतु आमंत्रित किया जायेगा। प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के परीक्षण एवं संतुष्ट होने पर अनुबंध संपादित किया जायेगा एवं अनुबंध होने के पश्चात् कार्यादेश जारी किया जायेगा।

किसी कारण से कोचिंग संस्था द्वारा कार्य करने में असमर्थता/असफलता या अनुबंध निरस्त किये जाने की स्थिति में द्वितीय, तृतीय एवं आगे के क्रम के कोचिंग संस्थाओं को प्रथम संस्था के स्थान पर कार्यादेश दिये जाने पर प्रथम संस्था द्वारा उल्लेखित दर अथवा द्वितीय, तृतीय स्थान इत्यादि पर रहने वाली संस्था जिसे कार्यादेश दिया जा रहा है। उसके द्वारा उल्लेखित दर में से जो न्यूनतम हो उसी दर पर कार्यादेश दिया जा सकेगा। कार्यादेश देने के पूर्व प्रथम पैराग्राफ के अनुरूप अभिलेखीय कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

10. "रुचि की अभिव्यक्ति" अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन हेतु समिति एवं अधिकार :- (अ) योजना नियमावली-2020 अनुसार गठित समिति द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं अभिलेखों का मूल्यांकन करेगी। मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा मूल्यांकन के संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।

(ब) प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता/निविदाकार/प्रार्थी द्वारा जमा किये किसी अभिलेख के संबंध में यदि समिति आवश्यक समझे तो उसे स्पष्ट करने हेतु अवसर प्रदान कर सकेगी।

(स) मूल्यांकन समिति को अधिकार होगा कि—

1. वह किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकें।
2. किसी प्रस्ताव के आंशिक या पूर्णता से स्वीकार्य कर सकें।
3. समिति के राय में यदि कोई प्रस्ताव ऐसा है कि जो कार्य करने में सक्षम नहीं है तो उसे रिजेक्ट कर सकेगी।
4. आवेदक द्वारा मिथ्या पूर्ण या कपट पूर्ण जानकारी दिया गया हो या जानकारी जानबुझकर छिपाई गई हो।
5. सर्वाधिक उपयुक्त प्रस्ताव कर्ता से निगोसियेशन कर सकें।

11. चयनित कोचिंग संस्था के दायित्व :-

(अ) उपलब्ध कराये जा रहे फ़ैकल्टी की योग्यता/विशेषज्ञता —अनुबंध पश्चात् एक सप्ताह के अंदर प्रकाशित "रूचि की अभिव्यक्ति" में दर्शाये अनुसार योग्यता का शिक्षक अनिवार्य रूप से अनुमोदित सूची प्रशासकीय अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। प्रशासकीय अधिकारी का दायित्व होगा कि वे सूची में दर्शित शिक्षक/फ़ैकल्टी "रूचि की अभिव्यक्ति" में उल्लेखित योग्यता के हैं। उनकी योग्यता का सत्यापन कर अनुमोदन हेतु सूची आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नवा रायपुर को भेजे। अपरिहार्य परिस्थितियों में पूर्व से कार्यरत शिक्षक/फ़ैकल्टी की अनुपस्थिति के कारण अन्य दूसरे शिक्षक समकक्ष योग्यता के 03 दिवस में उपलब्ध कराना होगा। इसका अनुमोदन सहायक आयुक्त के माध्यम से कलेक्टर से लेना होगा। निर्धारित योग्यता के ही शिक्षक/फ़ैकल्टी उपलब्ध कराना होगा अन्यथा चयन निरस्त किया जा सकेगा।

(ब) शैक्षणिक प्रविधि— कोचिंग संस्थान के शिक्षकों का दायित्व होगा कि वे विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु तैयार करें। विद्यार्थीवार प्रगति का विश्लेषण कर कार्ययोजना बनानी होगी एवं विद्यार्थीवार प्रगति का विवरण रखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक शिक्षक प्रारंभ से ही प्रतिदिन का लेशन प्लान तथा शिक्षक डायरी बनायेंगे तथा संस्था के प्राचार्य से उनका अनुमोदन करायेंगे। विद्यार्थियों को इस प्रकार से तैयार किया जाये कि उनका क्विंटिकल थिंकिंग, रचनात्मकता, विश्लेषणात्मकता, तार्किक क्षमता में वृद्धि हो। हिन्दी, अंग्रेजी के भाषा में निपुण हो तथा संप्रेषण क्षमता उत्कृष्ट स्तर का हो। विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के स्तर से साथ-साथ अध्यापन एवं कोचिंग कराया जायेगा तथा इनका साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, छैमाही, प्रीबार्ड एवं फाइनल परीक्षा आयोजित कर उनका मूल्यांकन किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षक का दायित्व होगा कि वह साप्ताहिक एवं मासिक मूल्यांकन के आधार पर उत्कृष्ट, मध्यम एवं कमजोर बच्चों का वर्गीकरण करें तथा मध्यम एवं कमजोर बच्चों के उपर विशेष कार्य करते हुये उन्हें उत्कृष्ट स्तर पर लाना अनिवार्य होगा अन्यथा कोचिंग संस्था के भुगतान में कटौती की जायेगी। प्रत्येक शिक्षक को यह रिकार्ड रखना होगा कि अमुक विद्यार्थी किस विषय में एवं किन कारणों से कमजोर है तथा शिक्षक द्वारा इस संबंध में क्या कार्ययोजना बनाई गई इसका निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। कोचिंग संस्था को विद्यार्थियों के लिए स्टडी मटेरियल मूल्यांकन हेतु टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट/प्रैक्टिस पेपर एवं ऑन-लाइन प्रीटिंग एवं अवलोकन टेस्ट लिया जा कर मूल्यांकन सुविधा उपलब्ध कराना होगा। प्रशासकीय अधिकारी द्वारा सहायक आयुक्त की अध्यक्षता में प्रतिमाह विषयवार शिक्षकों एवं कोचिंग संचालक के साथ बैठक की जायेगी तथा मध्यम एवं कमजोर बच्चों के शैक्षणिक प्रगति सुधारने हेतु ठोस कार्ययोजना बनाई जायेगी एवं इसका क्रियान्वयन किया जायेगा। विद्यार्थियों की प्रगति में सुधार न होने पर कोचिंग संस्था एवं प्रशासकीय अधिकारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे।

(स) विद्यार्थियों को पूर्व वर्ष के प्रश्नपत्रों के आधार पर तैयारी— अखिल भारतीय स्तर की कोचिंग के लिए प्रत्येक विषय में चैप्टर वाईस (कक्षा 9वी, 10वी) के विगत 10 वर्षों के प्रश्न-पत्रों (जैसे गणित, विज्ञान, ऑलमपीयाड, विज्ञान पहेली, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज इत्यादि) परीक्षाओं के प्रश्न निकालकर उसके आधार पर अंतिम परीक्षा पूर्व न्यूनतम 10 मॉक टेस्ट लेना अनिवार्य होगा। मॉक टेस्ट का मूल्यांकन कर विद्यार्थियों के कमियों को दूर किया जायेगा। इस संबंध में विभागीय अधिकारी अवश्य सुझाव भी दे सकेंगे।

(द) मनोवैज्ञानिक/कैरियर काउन्सलर का दायित्व— प्रयास आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को जीवन निर्माण हेतु काफी परिश्रम करना पड़ता है परिणामस्वरूप विद्यार्थी कभी-कभी तनावग्रस्त होते रहते हैं तथा मनोबल भी गिरता है। ऐसी स्थिति में मनोवैज्ञानिक के रूप में कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक दिन कक्षाओं में जायें तथा विद्यार्थियों से सामान्य चर्चा कर उनकी मनोदशा का अध्ययन करें। तनावग्रस्त एवं कमजोर मनोबल वाले विद्यार्थी पाये जाने पर नियमित काउंसलिंग करे तथा इन्हें इस स्थिति से बाहर लाये। इस प्रकार काउंसलिंग किये गये बच्चों की जानकारी दिनांकवार एक पंजी में दर्ज करें, जिसमें बच्चों की समस्या तथा उसके निराकरण की जानकारी उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त प्रतिसप्ताह कैरियर से संबंधित समाचार पत्रों, रोजगार नियोजन, रोजगार समाचार के माध्यम से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण रोजगार सूचनाओं को सूचना पटल पर प्रदर्शित करें तथा साप्ताहिक विभिन्न कैरियर के अवसरो की जानकारी हेतु कक्षा भी लें।

(ई) प्रोजेक्ट इन्चार्ज का दायित्व— प्रयास संस्था हेतु कोचिंग फर्म द्वारा नियुक्त प्रोजेक्ट इन्चार्ज का दायित्व होगा कि वह प्रयास स्कूल में सभी शिक्षकों एवं प्रशासकीय अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करें। शिक्षक की उपलब्धता, निरंतर शाला में बनी रहें, शिक्षक अनुपस्थित न रहें। शिक्षकों का समय पर वेतन प्राप्त होता रहें इस हेतु वह निरंतर कोचिंग संस्था के संचालक से बात कर प्रतिमाह भुगतान कराये। काचिंग संस्था द्वारा दी जा रही स्टडी मटेरियल एवं अन्य सुविधाएं स्कूल में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इनका दायित्व होगा कि सभी विद्यार्थी जो जिस स्ट्रीम के हैं, उनसे संबंधित स्ट्रीम के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं का फार्म भरवाना, परीक्षा में शामिल कराना, उपस्थित शिक्षकों द्वारा लिये गये परीक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा परफारमेन्स तथा प्रतिमाह प्रश्नपत्र आदि की उपलब्धता तथा इसका सत्यापन प्रशासकीय अधिकारी से कराना।

(फ) परीक्षा पश्चात् अन्य सहायता — कोचिंग संस्था का दायित्व होगा कि बोर्ड परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षा समाप्ति पश्चात् भी परीक्षा परिणाम के संबंध में विद्यार्थियों को एवं विभाग को सूचना देना, जानकारी देने का कार्य करेंगे। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने पर काउंसलिंग का कार्य तथा आबंटित संस्था में प्रवेश तक सहायता प्रदान करेंगे। इस हेतु शिक्षकों, स्टाफ तथा विभाग से सहयोग ले सकते हैं।

(य) शिक्षकों के लिये आचार संहिता — शिक्षण तथा कोचिंग कार्य में नियोजित शिक्षको को विद्यालय के गरिमा के अनुरूप अनुशासन, आचरण एवं व्यवहार रखना होगा। विषय शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को प्राप्त कानूनी अधिकार एवं हित का उल्लंघन किये जाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में विषय शिक्षक उपलब्ध कराने के पूर्व शिक्षक के संबंध में संपूर्ण जांच करने की जिम्मेदारी तथा इन तथ्यों से पूर्णतः अवगत कराने का दायित्व संबंधित कोचिंग संस्था की होगी। विद्यालय के लिए नियुक्त शिक्षक/फैकल्टी किसी अन्य कोचिंग या निजी कोचिंग में संलग्न नहीं किये जाएंगे। शिक्षक विद्यालय के लिए पूर्ण समर्पण भाव से कार्य करेंगे।

12. शिक्षकों के लिए आवासीय सुविधा— कोचिंग संस्था को फैंकल्टी के लिए विद्यालय के बाहर यथा संभव समीप में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना होगा।

(अ) कोविड/संकटकालीन स्थिति में शिक्षा व्यवस्थाएं— कोचिंग संस्थाओं को आवश्यकता अनुसार कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए विद्यार्थियों को ऑनलाईन अध्यापन एवं कोचिंग देने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगा।

(ब) दस्तावेजों का सत्यापन—प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की सत्यता का दायित्व संबंधित कोचिंग संस्था का होगा। इस हेतु ओरिजनल नोटराईज्ड शपथ पत्र संस्था द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(स) शिक्षकों हेतु अध्यापन हेतु प्रतिदिन की अवधि— शिक्षक को प्रतिदिन न्यूनतम 08 घंटे का अध्यापन करना होगा। इसके अंतर्गत प्रतिदिन पाठ्यक्रम की योजना तैयार करना टीचर डायरी तैयार करना, विद्यार्थियों को दिये गये होमवर्क की जांच करना, कक्षा अध्यापन करना, डाउट क्लास लेना तथा कमजोर बच्चों के लिये विशेष कक्षाएं लेना तथा मूल्यांकन किया जाना शामिल है।

13. कोचिंग संस्था के राशि का भुगतान — भुगतान हेतु निम्नानुसार मानक प्रक्रिया निर्धारित की गई है किंतु अपरिहार्य/संकटकालीन स्थिति में इस प्रक्रिया में समिति द्वारा विचार कर संशोधित प्रक्रिया तय की जा सकती है, जो सभी को मान्य होगा :-

(अ) शिक्षण सत्र-2021-22 में कक्षा 9वीं के अध्यापन/कोचिंग कार्य हेतु भुगतान का तरीका

क्र.	अवधि	लक्ष्य/कार्य	उपलब्धि अनुसार राशि का भुगतान	मॉनिटरिंग/सत्यापन/अनुशंसा
1	2	3	4	5
1	पहला माह	कक्षा 9वीं में प्रवेश उपरांत सभी विद्यार्थियों का पूर्व कक्षा का शैक्षणिक स्तर का मूल्यांकन हेतु टेस्ट लेकर विद्यार्थियों का ग्रेडिंग किया जाना तथा इसके उपरांत विद्यार्थीवार कार्य योजना तैयार कर पूर्व कक्षा के विषयगत मूलभूत अवधारणाओं पर अध्यापन कर उनका सुदृढीकरण करने हेतु प्रति सप्ताह मूल्यांकन किया जाये एवं माह के अंत में अंतिम समग्र मूल्यांकन कर ए-ग्रेड में लाया जाना है, जिससे वे कक्षा 9वीं के विषयवस्तु को ठीक से ग्रहण कर सकें।	कुछ नहीं	कालम क्रमांक-3 में उल्लेखित लक्ष्य/कार्य का सत्यापन प्रशासकीय अधिकारी (प्राचार्य) द्वारा किया जाकर, संबंधित विषय शिक्षकों की बैठक संबंधित जिले के सहायक आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित कर कार्ययोजना बनाई जायेगी।
2	दूसरा एवं तीसरा माह	इस माह हेतु तैयार कार्ययोजनानुसार बोर्ड परीक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से पृथक-पृथक मूल्यांकन किया जाना है। 03 माह के समग्र मूल्यांकन में समस्त विद्यार्थियों का बोर्ड/स्थानीय परीक्षा में 90% विद्यार्थी ए-ग्रेड (90% से उपर) तथा प्रतियोगी परीक्षा में 90% विद्यार्थी 20% से अधिक अंक प्राप्त करें।	लक्ष्य अनुसार परिणाम प्राप्त होने पर 03 माह में भुगतान की जाने वाली राशि का 80% राशि भुगतान किया जायेगा। लक्ष्य अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होने पर 5 % राशि की स्थाई कटौती की जायेगी, जो वापसी योग्य नहीं होगी। (अर्थात् 75% राशि का ही भुगतान किया जायेगा)।	कालम क्रमांक-3 में उल्लेखित लक्ष्य/कार्य का सत्यापन प्रशासकीय अधिकारी (प्राचार्य) द्वारा किया जाकर, संबंधित जिले के सहायक आयुक्त के अनुमोदन तथा कलेक्टर की स्वीकृति पश्चात् नियमानुसार राशि का भुगतान किया जावेगा।

(ब) शिक्षण सत्र-2022-23 में कक्षा 10वी के अध्यापन/कोचिंग कार्य हेतु भुगतान का तरीका

क्र.	अवधि	कार्य/लक्ष्य	राशि का भुगतान	मॉनिटरिंग/सत्यापन/अनुशंसा
1	2	3	4	5
1	पहला माह	कक्षा 9वी तक पढाये गये विषयगत अवधारणाओं का रिवीजन तथा मूल्यांकन तथा विद्यार्थियों के शैक्षणिक उपलब्धि अनुसार वर्गीकरण तथा सभी को ए-ग्रेड में लाने की कार्ययोजना एवं कक्षा 10वी के लिए शिक्षकों द्वारा संपूर्ण पाठ्यक्रम को यूनिट में विभाजित किया जायेगा तथा सत्र भर की मासिक एवं वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जायेगी।	कुछ नहीं	कालम क्रमांक-3 में उल्लेखित लक्ष्य/कार्य का सत्यापन प्रशासकीय अधिकारी (प्राचार्य) द्वारा किया जाकर, संबंधित विषय शिक्षकों की बैठक संबंधित जिले के सहायक आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक कर कार्ययोजना बनाई जायेगी। तैयार कार्ययोजना अनुमोदित कर आयुक्त कार्यालय को भेजे।
2	दूसरा एवं तीसरा माह	इस माह के लिए तैयार कार्ययोजनानुसार बोर्ड परीक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से पृथक-पृथक मूल्यांकन किया जाना है। 03 माह के समग्र मूल्यांकन में समस्त विद्यार्थियों का बोर्ड/स्थानीय परीक्षा में 90% विद्यार्थी ए-ग्रेड (90% से उपर) तथा प्रतियोगी परीक्षा में 90% विद्यार्थी 35% से अधिक अंक प्राप्त करें।	लक्ष्य अनुसार परिणाम प्राप्त होने पर 03 माह में भुगतान की जाने वाली राशि का 80% राशि भुगतान किया जायेगा। लक्ष्य अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होने पर 5% राशि की स्थाई कटौती की जायेगी, जो वापसी योग्य नहीं होगी। (अर्थात 75% राशि का ही भुगतान किया जायेगा)।	कालम क्रमांक-3 में उल्लेखित लक्ष्य/कार्य का सत्यापन प्रशासकीय अधिकारी (प्राचार्य) द्वारा किया जाकर, संबंधित जिले के सहायक आयुक्त के अनुमोदन तथा कलेक्टर की स्वीकृति पश्चात् नियमानुसार राशि का भुगतान किया जावेगा।
3	चौथा, पांचवा एवं छठवा	इस माह के लिए तैयार कार्ययोजनानुसार बोर्ड परीक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से पृथक-पृथक मूल्यांकन किया जाना है। 06 माह के समग्र मूल्यांकन में समस्त विद्यार्थियों का बोर्ड/स्थानीय परीक्षा में 90% विद्यार्थी ए-ग्रेड (90% से उपर) तथा प्रतियोगी परीक्षा में 90% विद्यार्थी 40% से अधिक अंक प्राप्त करें।	लक्ष्य अनुसार परिणाम प्राप्त होने पर 06 माह में भुगतान की जाने वाली राशि का 80% राशि भुगतान किया जायेगा। लक्ष्य अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होने पर 10% राशि की स्थाई कटौती की जायेगी, जो वापसी योग्य नहीं होगी। (अर्थात 70% राशि का ही भुगतान किया जायेगा)।	कालम क्रमांक-3 में उल्लेखित लक्ष्य/कार्य का सत्यापन प्रशासकीय अधिकारी (प्राचार्य) द्वारा किया जाकर, संबंधित जिले के सहायक आयुक्त के अनुमोदन तथा कलेक्टर की स्वीकृति पश्चात् नियमानुसार राशि का भुगतान किया जावेगा।
4	सातवा, आठवां एवं नौवां	इस माह के लिए तैयार कार्ययोजनानुसार बोर्ड परीक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से पृथक-पृथक मूल्यांकन किया जाना है। 09 माह के समग्र मूल्यांकन में समस्त विद्यार्थियों का बोर्ड/स्थानीय परीक्षा में 90% विद्यार्थी ए-ग्रेड (90% से उपर) तथा प्रतियोगी परीक्षा में 90% विद्यार्थी 45% से अधिक अंक प्राप्त करें।	लक्ष्य अनुसार परिणाम प्राप्त होने पर 09 माह में भुगतान की जाने वाली राशि का 80% राशि भुगतान किया जायेगा। लक्ष्य अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होने पर 10% राशि की स्थाई कटौती की जायेगी, जो वापसी योग्य नहीं होगी। (अर्थात 70% राशि का ही भुगतान किया जायेगा)।	कालम क्रमांक-3 में उल्लेखित लक्ष्य/कार्य का सत्यापन प्रशासकीय अधिकारी (प्राचार्य) द्वारा किया जाकर, संबंधित जिले के सहायक आयुक्त के अनुमोदन तथा कलेक्टर की स्वीकृति पश्चात् नियमानुसार राशि का भुगतान किया जावेगा।
5	दसवां, ग्यारहवां एवं बारहवां	इस माह के लिए तैयार कार्ययोजनानुसार बोर्ड परीक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से पृथक-पृथक मूल्यांकन किया जाना है। 12 माह के समग्र मूल्यांकन में समस्त विद्यार्थियों का बोर्ड/स्थानीय परीक्षा में 90% विद्यार्थी ए-ग्रेड (90% से उपर) तथा प्रतियोगी परीक्षा में 90% विद्यार्थी 50% से अधिक अंक प्राप्त करें।	लक्ष्य अनुसार परिणाम प्राप्त होने पर 12 माह में भुगतान की जाने वाली राशि का 80% राशि भुगतान किया जायेगा। लक्ष्य अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होने पर 10% राशि की स्थाई कटौती की जायेगी, जो वापसी योग्य नहीं होगी। (अर्थात 70% राशि का ही भुगतान किया जायेगा)।	कालम क्रमांक-3 में उल्लेखित लक्ष्य/कार्य का सत्यापन प्रशासकीय अधिकारी (प्राचार्य) द्वारा किया जाकर, संबंधित जिले के सहायक आयुक्त के अनुमोदन तथा कलेक्टर की स्वीकृति पश्चात् नियमानुसार राशि का भुगतान किया जावेगा।

6	अंतिम किश्त (शेष 20% राशि)	<p>अंतिम किश्त (शेष 20% राशि) का भुगतान की स्वीकृति विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा निम्नांकित आधार पर प्रदान किया जायेगा:-</p> <p>(1) बोर्ड परीक्षा में 95% विद्यार्थी 10वीं बोर्ड परीक्षा में 85% से अधिक अंक से उत्तीर्ण हो तथा प्रतियोगी परीक्षा अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिभा खोज द्वितीय स्तर की परीक्षा में 20% विद्यार्थी सफल होने पर सम्पूर्ण 20% राशि का भुगतान किया जायेगा।</p> <p>(2) बोर्ड परीक्षा में 80% विद्यार्थी 10वीं बोर्ड परीक्षा में 75% से अधिक अंक से उत्तीर्ण हो तथा प्रतियोगी परीक्षा अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिभा खोज द्वितीय स्तर की परीक्षा में 10% विद्यार्थी सफल होने पर शेष राशि का 10% राशि का भुगतान किया जायेगा।</p> <p>(3) उपरोक्तानुसार परीक्षा परिणाम प्राप्त नहीं होने पर समिति द्वारा उस वर्ष के परिस्थितियों के आधार पर परीक्षा परिणाम के गुणवत्ता, कोचिंग संस्था के समर्पण, कार्ययोजना अनुसार कार्य करने इत्यादि का सम्पूर्ण मूल्यांकन कर आनुपातिक कटौती कर भुगतान का निर्णय कर सकेगी।</p>
---	----------------------------	--

टीप- (i) प्रत्येक भुगतान के पूर्व कोचिंग संस्था को पूर्व में किये गये भुगतान का जी.एस.टी. जमा करने का प्रमाण पत्र तथा समस्त करों का विवरण, कोचिंग कार्य करने हेतु नियोजित शिक्षको को कोचिंग संस्था/फर्म के खाते से शिक्षकों/फैकल्टी के बैंक खातों में उनके लिए तय पारिश्रमिक की राशि जमा कर दिये जाने के प्रमाण स्वरूप बैंक स्टेटमेंट/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ii) शिक्षकों को प्रतिमाह मानदेय/पारिश्रमिक भुगतान करने की सम्पूर्ण जवाबदारी कोचिंग संस्था की होगी। इस संबंध में यह दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा कि विभाग से आवंटन/राशि नहीं मिली है। शिक्षकों के पारिश्रमिक भुगतान में शिकायत प्राप्त होने पर यह माना जायेगा कि कोचिंग फर्म वित्तीय रूप से अक्षम है तथा इस आधार पर अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा।

(iii) अंतिम भुगतान हेतु कोचिंग संस्था को पूर्व में किये गये भुगतान का जी.एस.टी. जमा करने का प्रमाण पत्र तथा समस्त करों का विवरण, कोचिंग कार्य करने हेतु नियोजित शिक्षको को कोचिंग संस्था/फर्म के खाते से शिक्षकों/फैकल्टी के बैंक खातों में उनके लिए तय पारिश्रमिक की राशि जमा कर दिये जाने के प्रमाण स्वरूप बैंक स्टेटमेंट/प्रमाण-पत्र, मासिक, त्रैमासिक, छःमाही प्री-बोर्ड एव अंतिम बोर्ड परीक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थीवार मूल्यांकन, शिक्षकों की उपस्थिति, शिक्षक डायरी, लेसन प्लान आदि का प्रशासकीय अधिकारी द्वारा सत्यापित जानकारी प्रस्तुत करना होगा।

14. अनुबंध की सामान्य शर्तें -

- अनुबंध की व्याख्या भारत में लागू कानून अनुसार होगी।
- अनुबंध की अवधि "रुचि की अभिव्यक्ति" में दर्शित तथा अनुबंध अनुसार अनुबंध की अवधि लागू होगी।
- रुचि की अभिव्यक्ति में दर्शाएं अनुसार अवधि में कार्य पूर्ण करना होगा।
- Sublet पर प्रतिबंध :-** कोचिंग संस्था द्वारा किसी अन्य को कार्य Sublet किया जाना पाया जाता है, तो अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा।
- करों की कटौती :-** इसके संबंध में सेवा संबंधी कार्यों के लिए भारत शासन द्वारा लागू टैक्स के नियम अनुसार राशि जमा करनी होगी। इसी प्रकार आयकर संबंधी नियम अंतर्गत आयकर के स्रोत (TDS) का नियमानुसार कटौती की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य जो कर लागू है उनकी भी कटौती की जा सकेगी।

- (vi) **अनुबंध का समाप्त किया जाना** :- शर्तों के उल्लंघन के आधार पर 15 दिवस के नोटिस पर अनुबंध समाप्त की जा सकेगी। इसी प्रकार फर्म के दिवालिया होने पर भी अनुबंध समाप्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा शासन/विभाग को भी हानि की भरपाई कोचिंग फर्म के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर पूर्ण की जावेगी।
- (vii) **योजना का नियंत्रण संचालन एवं समीक्षा** :- योजना का क्रियान्वयन जिला कलेक्टर के अधीन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा किया जायेगा तथा प्रयास स्कूल स्तर पर प्रशासकीय अधिकारी/प्राचार्य के नियंत्रण में कोचिंग फर्मों को कार्य करना होगा। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर कोचिंग फर्म द्वारा किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता, कार्ययोजना अनुसार कार्य तथा उपलब्धि की समीक्षा की जायेगी। समीक्षा में पाई गई कमियों का निराकरण करना होगा अन्यथा नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा एवं विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- (viii) **प्रचार-प्रसार** :- कोचिंग फर्म को इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से किसी प्रकार की घोषणा व जानकारी देने का अधिकार नहीं होगा।
- (ix) **विवाद की स्थिति में निपटारे की प्रक्रिया** :- सर्वप्रथम विवाद की स्थिति में अभ्यावेदन जिला कलेक्टर को दिया जा सकेगा इसके पश्चात इस निर्णय पर संतुष्ट न होने पर प्रथम अपील विभागाध्यक्ष, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नवा रायपुर (छ.ग.) तथा द्वितीय अपील सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को की जा सकेगी। इनका निर्णय अंतिम होगा। अन्य स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार रायपुर, छ.ग. होगा।
- (x) **संकटकालीन स्थिति में** :- कोरोना वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण या अन्य संकटकालीन स्थिति के संदर्भ में आवश्यकता अनुसार ऑनलाईन प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था करनी होगी। विद्यार्थियों के ऑनलाईन उपस्थिति एवं शैक्षणिक मूल्यांकन के आधार पर भुगतान किया जायेगा। ऑनलाईन शिक्षण के लिए पृथक से किसी प्रकार की कोई राशि देय नहीं होगी।
- (xi) स्वर्गीय राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा, प्रयास आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु संशोधित नियमावली वर्ष 2020 द्वारा जारी दिनांक 16.09.2021 में उल्लेख अनुसार तथा प्रकाशित "रूचि की अभिव्यक्ति" में उल्लेखित नियम एवं शर्तों के अधीन होगा।

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़

अनिवार्य न्यूनतम योग्यता के मूल्यांकन हेतु संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों की जानकारी (EC-1 से EC-8 तक) प्रथम लिफाफा हेतु

परिशिष्ट-EC-1

(Incorporation Certificate of farm/ company/ society)

परिशिष्ट EC-2

जीवित PAN प्रमाण पत्र संलग्न करें।

परिशिष्ट EC-3

जीवित GSTIN प्रमाण पत्र संलग्न करें।

परिशिष्ट EC-4

जीवित IT Return प्रमाण पत्र संलग्न करें।

परिशिष्ट- EC-5

कोचिंग संस्था/फर्म के टर्न ओव्हर संबंधी (CA) का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कोचिंग संस्था/फर्म का नाम तथा पता
का ऑडिट रिपोर्ट का मैने पूर्ण रूप से परीक्षण कर लिया है, जिसके आधार पर
JEE/NEET की कोचिंग से संबंधित टर्न ओव्हर निम्नानुसार है:-

क्रमांक	वर्ष	टर्न ओव्हर (राशि लाख में)
1	2016-17	
2	2017-18	
3	2018-19	
4	2019-20	
5	2020-21	

कोचिंग संस्था/फर्म के
संचालक का हस्ताक्षर एवं सील

Signature of Statutory Auditor
with Seal
UDIN No.

परिशिष्ट- EC-6

GST/IT से छूट संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो
(यदि लागू हो तो)

परिशिष्ट- EC-7

पॉवर ऑफ एटार्नी हेतु घोषणा पत्र
(100 रु. के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड)

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, अटल नगर, नवा रायपुर
छ.ग. द्वारा जारी "रूचि की अभिव्यक्ति" क्रमांक..... दिनांक के
संबंध में हमारी फर्म/संस्था
पता.....की ओर से मैं.....
आत्मज पता..... उम्र.....
आधार क्रमांक..... फर्म में हैसियत (पद)से अधिकृत
होकर नाम.....आत्मज.....पूरा पता.....
आधार क्रमांक.....को फर्म/कम्पनी/संस्था की ओर से इस प्रकाशित "रूचि की
अभिव्यक्ति" के संबंध में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर डिस्कशन/बैठक में शामिल
होने/निगोशियेशन/अनुबंध करने तथा इस प्रोजेक्ट के संचालन करने हेतु अभिलेखों पर
हस्ताक्षर करने तथा अन्य किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

यह भी प्रमाणित करता हूँ कि यह व्यक्ति किसी भी प्रकार के न्यायालयीन या
अपराधिक प्रकरण में लिप्त नहीं है।

फर्म के मालिक/साझेदार/संचालक
के हस्ताक्षर एवं सील

गवाह के हस्ताक्षर

परिशिष्ट- EC-8

कोचिंग फर्म/संस्था/कम्पनी को काली सूची/खराब प्रदर्शन के आधार पर दण्डात्मक कार्यवाही न होने संबंधी स्वघोषणा प्रमाण-पत्र (Self Declaration)
(रु. 100/- के स्टाम्प पेपर पर नोटराईजड)

हमारी संस्था/फर्म/कम्पनी.....

पूरा पता..... की ओर से मैं.....

(संचालक का नाम) आज दिनांक की स्थिति में घोषणा करता हूँ कि किसी भी शासन विभाग स्थानीय प्रशासन/एजेंसी छत्तीसगढ़/भारत देश/भारत देश से बाहर हमारे फर्म को किसी भी कारण से कार्य करने से प्रतिबंधित/ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है, और न ही हमारी संस्था पर किसी प्रकार के दंडात्मक कार्यवाही की गई है।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा हमारी संस्था/फर्म/कम्पनी के उपर किसी भी प्रकार के खराब प्रदर्शन अथवा कोचिंग संस्था में कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान नहीं करने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नोटिस का निराकरण अनिवार्य रूप से कर लिया गया है। जानकारी गलत पाये जाने पर "रुचि की अभिव्यक्ति" की प्रक्रिया दौरान अथवा कार्यादेश जारी होने के बाद अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

**फर्म के मालिक/साझेदार/संचालक
के हस्ताक्षर एवं सील**

गवाह के हस्ताक्षर

तकनीकी मूल्यांकन हेतु संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों की जानकारी
(TE-1 से TE-8 तक) द्वितीय लिफाफा हेतु

परिशिष्ट—TE-1

(संस्था का सामान्य परिचय—पुष्टि हेतु अभिलेख संलग्न किया जावे)

1. (अ) पंजीकृत कोचिंग संस्था का नाम :
- (ब) कोचिंग संस्था का पूर्ण पता :
- :
- (स) दूरभाष (कोड सहित) :
- (द) कोचिंग संस्था के संचालक का नाम
एवं पता/मोबाईल नम्बर :
2. कोचिंग संस्था किस समिति/फर्म/कम्पनी के अंतर्गत संचालित है :—
(अ) समिति/फर्म/कम्पनी का नाम :
- :
- (ब) समिति/फर्म/कम्पनी के कार्यालय
का पूर्ण पता :
- :
- (स) दूरभाष (कोड सहित) तथा
अधिकृत मोबाईल नम्बर :
- (द) फर्म द्वारा किन-किन स्थानों पर :
- कोचिंग संस्थाएं का संचालन किया जा रहा है:
3. (अ) समिति/फर्म/कम्पनी किस एक्ट के तहत पंजीकृत है:
- (ब) समिति/फर्म/कम्पनी का जीवित पंजीयन क्रमांक
एवं बायलॉज की प्रमाणित प्रति :
- (स) समिति/फर्म/कम्पनी का वैद्यता दिनांक :
- (द) समिति/फर्म/कम्पनी के गर्वनमेन्ट बॉडी की अंतिम बैठक का दिनांक :
- (इ) समिति/फर्म/कम्पनी के अंतिम बैठक की आम सभा का दिनांक :
- (प) समिति/फर्म/कम्पनी के गर्वनिंग बॉडी के
अध्यक्ष एवं सदस्यों/पार्टनर/संचालकों के
नाम, पिता/पति का नाम, आयु, लिंग एवं पूर्ण पता :

परिशिष्ट-TE-2

(Audit Report & Balance Sheets of three years)

परिशिष्ट-TE-3

(Details of **THREE SETS** of proposed Teachers/Faculty providing for this Project)

Name of Subject

S. No.	Name of Teachers	Qualifications	Name of Institute	Passing Year	Year of Experience	Name of Coaching Institute where teacher served as teacher	Experience Certificate of Teacher in on letter head of Coaching Institute

परिशिष्ट-TE-4A

(Year Wise Information of Coaching firm regarding No of students coached and success in different competition like JEE & NEET at National Level- Average of Last Five years)

S. No.	Name of Competitive Exam	No. of students coached at national level by your institute	No. of students got over all rank under 10000 in JEE Mains/20000 rank in NEET at National Level	
1	JEE Mains			
2	NEET			
Information regarding achievement of other exams				
S. No.	Name of Exam	No. of students coached at national level by your institute	No. of students finally selected	
1	JEE Advance			
2	AIIMS			
3	NTSE (2 nd Level)			
4	Science Quiz			
5	Olympoid			
6	SCRA			
7	Other Important Exam			

टीप :- कृपया जहां तक संभव हो सके साक्ष्य हेतु जानकारी इस प्रकार देंवे कि परीक्षण समिति को सही जानकारी का समाधान हो जाये। इस हेतु विद्यार्थियों का नाम, परीक्षा का नाम, उत्तीर्ण वर्ष, कोचिंग संस्था में प्रवेश की तिथि, प्रवेश क्रमांक, एवं फीस जमा करने का रसीद क्रमांक, मोबाईल नम्बर, जिला/राज्य का नाम, विद्यार्थी का ओवर आल रैंक, चयन उपरांत शैक्षणिक संस्था का नाम, Allotment Letter आदि जैसे जानकारी संलग्न करें, जिससे उपरोक्त जानकारी का सत्यापन किया जा सके। यह जानकारी Statutory Auditor से प्रमाणित होना चाहिए।

परिशिष्ट-TE-4B

(Year Wise Information of Coaching firm regarding No of students coached and success in different competition like JEE & NEET at Chhattisgarh State Level- Average of Last Five years)

S. No.	Name of Compitative Exam	No. of students coached at Chhattisgarh State lelvel by your institute	No. of students got over all rank under 10000 in JEE Mains/20000 rank in NEET at Chhattisgarh State Level	
1	JEE Mains			
2	NEET			
Information regarding achievement of other exams				
S. No.	Name of Exam	No. of students coached at Chhattisgarh State lelvel by your institute	No. of students finally selected	
1	JEE Advance			
2	AIIMS			
3	NTSE (2 nd Level)			
4	Science Quiz			
5	Olympoid			
6	SCRA			
7	Other Important Exam			

टीप :- कृपया जहां तक संभव हो सके साक्ष्य हेतु जानकारी इस प्रकार देंवे कि परीक्षण समिति को सही जानकारी का समाधान हो जाये। इस हेतु विद्यार्थियों का नाम, परीक्षा का नाम, उत्तीर्ण वर्ष, कोचिंग संस्था में प्रवेश की तिथि, प्रवेश क्रमांक, एवं फीस जमा करने का रसीद क्रमांक, मोबाईल नम्बर, जिला/राज्य का नाम, विद्यार्थी का ओवर आल रैंक, चयन उपरांत शैक्षणिक संस्था का नाम, Allotment Letter आदि जैसे जानकारी संलग्न करें, जिससे उपरोक्त जानकारी का सत्यापन किया जा सके। यह जानकारी Statutory Auditor से प्रमाणित होना चाहिए।

परिशिष्ट-TE-5

(List of branches of coaching institute in Chhattisgarh)

S. No.	District Name	Name of City where coaching have been established	Name of Center incharge and Mobile No.

परिशिष्ट-TE-6

(Study Material)

परिशिष्ट-TE-7

(Attested Power point presentations on Approach, methodology and strategy)

परिशिष्ट-TE-8

(Information of Project Incharge for the Project)

S. No.	Name of Project Incharge for this project	Qualifications	Year of Experience	Name of State	Address	Mobile No.

परिशिष्ट-TE-9

घोषणा/सहमति पत्र
संस्था/फर्म/कम्पनी संचालक की घोषणा

मैंपदकोचिंग संस्था की ओर से प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने प्रकाशित रूचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत समस्त शर्तों एवं प्रावधानों का अध्ययन कर, समझकर एवं संतुष्ट होकर प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, जिला- रायपुर हेतु आवेदन किया है। आवेदन पत्र के 'भाग-एक', भाग-दो(1-5) तथा भाग-तीन में दर्शाई गई जानकारी एवं उनकी पुष्टि हेतु पृथक से संलग्न विस्तृत विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। प्रस्ताव में दी गई जानकारी भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण होने पर प्रस्ताव निरस्त किया जा सकेगा तथा विधिक कार्यवाही हेतु मैं जिम्मेदार रहूंगा।

प्रयास संचालन नियमों में यदि कोई संशोधन होता है तो वह मुझे मान्य होगा। विभाग द्वारा अध्यापन एवं कोचिंग कार्य हेतु कार्यादेश प्राप्त होने की स्थिति में विभागीय निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण किया जाएगा एवं अनुबंध की शर्तों का पालन किया जाएगा।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर/मोहर
सहित

प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय, रायपुर के कक्षा 09वीं एवं 10वीं में अध्यापन एवं कोचिंग कार्य हेतु फेकल्टी की व्यवस्था के लिए पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से "रूचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण (वर्ष 2021-22)

(रूचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांक 91977 दिनांक के संदर्भ में)
वित्तीय प्रस्ताव - भाग-तीन FB-1 (तृतीय लिफाफा हेतु)

क्र.	कार्य का नाम	संचालित कक्षा	दर प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह (समस्त कर, जीएसटी सहित) अंकों एवं शब्दों में दर्शाया जाए	प्राथमिकता क्रम
1	प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड़डू, रायपुर	9वीं एवं 10वीं		
2	प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी, रायपुर	9वीं एवं 10वीं		

उपरोक्त दर समस्त कर, जीएसटी एवं अन्य सभी लागू करों सहित है। मैं इस दर पर कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
 (पदमुद्रा सहित)

टीप:-

1. यह वित्तीय प्रस्ताव ऑनलाईन प्रस्तुत किया जावे।
2. कोई भी कांट-छांट स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा काट-छाट होने पर प्रस्ताव निरस्त किया जायेगा।
3. शिक्षण सत्र 2021-22 एवं 2022-23 हेतु प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय, जिला- रायपुर के विद्यार्थियों को अध्यापन एवं कोचिंग कराये गये माह के आधार पर ही प्रति विद्यार्थी राशि देय होगी।
4. जिस संस्था को आप प्रथम प्राथमिकता देने चाहते हैं अतः उसके सम्मुख 01, द्वितीय प्राथमिकता के सम्मुख 02 दर्शाये जाये। प्राथमिकता देने से यह अधिकार नहीं हो जाता की आपका वही संस्था दी जाये।

Check List for Minimum Eligibility Criteria (Part-1)

S. No.	Form	Form Description	Eol Ref. Section	Page No. of Praposal
1	E.C.-1	Incorporation Certificate		
2	E.C.-2	PAN & GSTIN Certificate		
3	E.C.-3	I.T.R. Certificate		
4	E.C.-4	Turn Over Certificate		
5	E.C.-5	Security Deposit		
6	E.C.-6	Exemption from GST (deposit) /IT(deduction) issued by authority		
7	E.C.-7	Self Dedection Certificate & Non Black List Certificate		
8	E.C.-8	Power of Attorney		

Check List for Documents of Technical Evaluation (Part-2)

S. No.	Form	Form Description	Eol Ref. Section	Page No. of Praposal
1-	T.E.-1	Detail Information of Registard Firm		
2-	T.E.-2	Audit Report & Balance Sheets of three years		
3-	T.E.-3	Details of three sets of proposed Teachers/Faculty providing for this Project		
4-	T.E.-4 A&B	Year wise Information of Coaching firm regarding No of students coached and success in different competition like JEE & NEET		
5-	T.E.-5	List of branches of coaching institute in Chhattisgarh		
6-	T.E.-6	Study Material		
7-	T.E.-7	Attested Power point presentations on Approach, methodology and strategy		
8-	T.E.-8	Information of Project Incharge for the Project		
9-	T.E.-9	Declaration		

Check List for Financial Proposal (Part-3)

S. No.	Form	Form Description	Eol Ref. Section	Page No. of Praposal
1	F.B.-1	Financial Proposal		